FORM-II

(For projects other than linear projects)
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector, Betul.

No.-FRA/2020-21/13/ 3623

Dated 08/06/2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 (**"FRA"**, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that ***20.140*** hectare of forest land proposed to be diverted in favour of ***Water Resources Division No.2 Betul*** of user agency) for ***Construction of Mendha Medium Irrigation Project. in Betul District*** falls within jurisdiction of ***Mendha*** village in Tehsil ***Bhainsdehi and** village **Bagdari, Pipla,Borikas in Tehsil Betul***

It is further certified that :

a- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for Bagdari 1.120 ha.,Pipla 3.200 ha.,Borikas 6.380 ha (Forest block Pipla-comparment no.1100,1101 &1119) & Memdha 9.440 ha.(Forest block Temurni-compartment no. 1080) the entire ***20.140*** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting's of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(Mohalla Committey), Sub-Division Level Forest Rights Committee(s) ***Betul & Bhainsdehi*** and the District Level Committee are enclosed as annexure ***A*** to B annexure C

b- the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

c- the each of concerned Gram Sabha(Mohalla Committey) has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of ***Mendha, (Gram Panchayat Temvhurni), Bhainsdehi & Bagdari, (Gram Panchayat Hathanajhiri)Pipla, (Gram Panchayat Pipla)Borikas(Gram Panchayat Borikas)*** villages ***Betul*** is enclosed as annexure ***A*** to annexure B.

d- Villages is enclosed as annexure ***A*** the discussion and decisions on such proposals has taken pace only when there was a quoram of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

e- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

f- the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1){e} of the FRA.

Encl.:As above.

Collector
District Betul.
COLLECTOR
DISTT.-BETUL

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति बैतूल
स्थान:- बैतूल कलेक्टर सभाकक्ष
बैठक दिनांक:- 17/5/2024

क्रमांक	उपस्थित माननीय सदस्य/अधिकारी	उपस्थिति के हस्ताक्षर	विषय वस्तु
1.	कलेक्टर	[signature] कलेक्टर जिला बैतूल	① व्यपवर्तन प्रमाण पत्र (क) 101.600 हे. एवं 25.466 हेक्टर. नवा-उच्चीसिंगल (?)
2.	वनमंडलाधिकारी वनमंडल उत्तर	[signature] वन मंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल	(ख) मेंढा सिंचाई परियोजना 20.140 हेक्टर.
3.	वनमंडलाधिकारी वनमंडल दक्षिण	[signature] वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.)	
4.	सहायक आयुक्त आ.वि. बैतूल	[signature] सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बैतूल	

कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 17/05/2024 को कलेक्टर महोदय जी की अध्यक्षता में जिला वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई।

जिसमे एजेंडे अनुसार निम्नानुसार प्रस्ताव लिये गये।

1. व्यपवर्तन प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा।

(क) महाप्रबंधक एन पाथाखेड़ा सारनी तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा गांधीग्राम सतपुड़ा भूमिगत खदान हेतु आ०प०शाहपुर गढ़ के ग्राम गांधीग्राम में वन भूमि 101.600 हे० एवं 25.866 हेक्ट. का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है ग्राम पंचायत शक्तिगढ़ से प्राप्त अनापत्ति प्रस्ताव एवं उपखण्ड स्तरीय समिति शाहपुर से पारित अनापत्ति प्रस्ताव के आधार पर रकबा 101.600 हेक्ट. एवं 25.866 हेक्ट. व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा प्रदान की जाती है। उत्तर वनमंडल

(ख) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक 02 बैतूल द्वारा मेढा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु 20.140 हेक्ट. का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है ग्राम पंचायत रेमुरनी से प्राप्त 9.440 हेक्ट० (रेमुरनी बीट के कक्ष क्रमांक 1080 रकबा 9.440 हेक्ट) उपखंड भैंसदेही से पारित कुल 9.440 हेक्ट. का प्रस्ताव एवं ग्राम पंचायत हथनापिपरी से प्राप्त प्रस्ताव 1.120 हेक्ट०, ग्रामपंचायत पीपला से प्राप्त प्रस्ताव 3.200 हेक्ट० एवं ग्राम पंचायत बोरीकास से प्राप्त प्रस्ताव 6.380 हेक्ट०) एवं उपखंड स्तरीय समिति बैतूल से पारित कुल 10.700 हेक्ट० का प्रस्ताव के आधार पर कुल रकबा 20.140 हेक्ट० का व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा की जाती है (द०क्षे० वनमंडल)

कार्यालय कलेक्टर(जनजाति कार्य विभाग) बैतूल

वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में प्रकरणों का अंतिम विनिश्चिय हेतु प्रस्तुतः—बैठक दिनांक 17/05/2021

1. **ऐजेन्डा कमांक 1 :— व्यपवर्तन प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा।**

(क) महाप्रबंधक डब्ल्यू.सी.एल.पाथाखेड़ा सारनी तहसील घोड़ाडोगरी जिला बैतूल द्वारा गांधीग्राम तवा –3 भूमिगत खदान हेतु ग्राम पंचायत शक्तिगढ़ के ग्राम गांधीग्राम में वनभूमि का 101.600 हेक्ट. एवं 25.866 हेक्ट. का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है। ग्राम पंचायत शाक्तिगढ़ से प्राप्त अनापत्ति प्रस्ताव एवं उपखण्ड स्तरीय समिति शाहपुर से पारित अनापत्ति प्रस्ताव के आधार पर रकबा 101.600 हेक्ट. एवं 25.866 हेक्टर व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा प्रदान की जाती है।(उत्तर वनमंडल)

(ख) कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग कमांक 02 बैतूल द्वारा मेढा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु 20.140 हेक्ट. का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है। ग्राम पंचायत टेमुरनी से प्राप्त प्रस्ताव 9.440 हेक्ट.(टेमुरनी बीट के कक्ष कमांक1080 रकबा 9.440 हेक्ट.) उपखंड स्तरीय समिति भैसदेही से पारित कुल 9.440 हेक्ट. का प्रस्ताव एवं ग्राम पंचायत हथनाझिरी से प्राप्त प्रस्ताव 1.120हेक्ट., ग्राम पंचायत पीपला से प्राप्त प्रस्ताव 3.200 हेक्ट., ग्राम पंचायत बोरीकास से प्राप्त प्रस्ताव 6.380 हेक्ट. (कमशः पीपला बीट के कक्ष कमांक 1100, 1101 एवं 1199 में रकबा कमशः 1.120 हेक्ट., 3.200 हेक्ट. एवं 6.380 हेक्ट.) एवं उपखंड स्तरीय समिति बैतूल से पारित कुल 10.700 हेक्ट. का प्रस्ताव के आधार पर कुल रकबा 20.140 हेक्टर का व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा की जाती है।(दक्षिण वनमंडल)

अतः बैठक कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार समाप्त की गई।

था प्रस्तावित अनुमोदित। कृपया समस्त नियमों एवं प्रक्रिया का पालन करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
बैतूल जिला - बैतूल

वन मंडलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण बैतूल (सा.)

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
बैतूल

कार्यालय उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति उपखण्ड बैतूल

क्रमांक/ज.पं./वन अधि./2020-21 /341 बैतूल दिनांक 9.2.2021

प्रति,

सहायक आयुक्त

(जनजातिय कार्य विभाग)

बैतूल

विषय-वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु पीपला बीट के कक्ष क्रमांक 1100, 1101 एवं 1119 में ग्राम बगदरी की भूमि 1.12 हे. पीपला की भूमि 3.20 हे. एवं बोरीकास की भूमि 6.38 हे. इस प्रकार कुल रकबा 10.70 हे. के व्यपवर्तन प्रस्ताव क्लीयरेंस प्रमाण प्रदाय करने बाबत्।

संदर्भ-आपका कार्यालयीन पत्र/ वन अधि./2020-21/13 8407 बैतूल दि. 28-12-2020.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित वन भूमि पीपला बीट के कक्ष क्रमांक 1100, 1101 एवं 1199 में क्रमशः ग्राम बगदरी की भूमि 1.12 हे., पीपला की भूमि 3.20 हे. एवं बीराकास की भूमि 6.38 हे. इस प्रकार कुल रकबा 10.70 हे. के व्यवपर्तन प्रस्ताव पर क्लीरेंस प्रमाण पत्र प्रदाय हेतु प्रभावित ग्राम बगदरी (ग्रा.पं. हथनाझिरी) पीपला (ग्रा.पं. पीपला) बोरीकास (ग्राम पंचायत बोरीकास) ग्रामों में आयोजित ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव दि. 5-2-2021 को उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बैठक में अनुमोदन उपरांत प्रस्ताव का कार्यवाही विवरण उचित कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर संलग्न प्रेषित।

संलग्न- उपखण्ड स्तरीय समिति एवं ग्राम सभा की छायाप्रति। (ग्राम-पीपला, बोरीकास, बगदरी) (पृष्ठ 1 से 16 तक)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सचिव

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

उपखण्ड बैतूल

क्रमांक–/वन अधि./2020–21/13/8407 बैतूल,दिनांक 28/12/2020

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत बैतूल

विषयः–वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु पीपला बीट के कक्ष कमांक 1100, 1101 एवं 1199 में ग्राम बगदरी की भूमि 1.12 हेक्ट., पीपला की भूमि 3.20 हेक्ट. एवं बोरीकास की भूमि 6.38 हेक्ट. इस प्रकार कुल रकबा 10.70 हेक्टर के व्यपवर्तन प्रस्ताव पर क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत्।

सन्दर्भः–कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग कमांक 02 बैतूल का पत्र क./1850/कार्य/2019 दिनांक 12.06.2019 ।

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसके तहत मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित वनभूमि पीपला बीट के कक्ष कमाक 1100, 1101 एवं 1199 में कमशः ग्राम बगदरी की भूमि 1.12 हेक्ट., पीपला की भूमि 3.20 हेक्ट. एवं बोरीकास की भूमि 6.38 हेक्ट. इस प्रकार कुल रकबा 10.70 हेक्टर के व्यपवर्तन प्रस्ताव पर क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रकरण में प्रभावित ग्राम बगदरी, पीपला एवं बोरीकास की ग्राम पंचायत कमशः हथनाझिरी, पीपला एवं बोरीकास में ग्राम सभा रखवाये जिसमें ग्राम सभा में स्थानीय भाषा में समक्षायें सभी सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से अन्यून सदस्यों से प्रस्ताव लेकर बैठक में निर्णय कार्यवाही विवरण तथा ग्राम सभा की उपस्थिति हस्ताक्षर पंजी उपखण्ड स्तरीय समिति बैतूल को उपलब्ध करावें। इसी अनुकम में ग्राम सभा के अनुरूप उपखण्ड स्तरीय समिति बैतूल बैठक रखवाकर प्रस्ताव पर निर्णय पारित किया जावें, उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रभावित ग्राम से कोई दावा निराकरण हेतु शेष तो नही है? व्यक्तिगत/सामुदायिक/रूढिजन्य एवं अन्य परम्परागत, निस्तार के अधिकार एवं विशेष पिछड़ी जनजाति समुहों एवं कृषि पूर्व समुदाय के अधिकार प्रभावित तो नहीं हो रहे है? इसके संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था की पुष्टि कर ली जावें। इसके तहत वनाधिकार अधिनियम की धारा 3(1)(ड) के तहत आवश्यक कार्यवाही कर ली जावें, जिसका उल्लेख उपखण्ड स्तरीय समिति के बैठक कार्यवाही विवरण में अवश्य अंकित किया जावे।

अतः प्रभावित ग्राम बगदरी, पीपला एवं बोरीकास की ग्राम पंचायत कमशः हथनाझिरी, पीपला एवं बोरीकास में आयोजित ग्राम सभा बैठक ऐजेन्डे में शामिल कर अभिलेख उपखण्ड स्तरीय समिति बैतूल के माध्यम से 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास बैतूल

पृ०क०/वन अधि./2020–21/13/8408 बैतूल, दिनांक 28/12/2020

प्रतिलिपिः–

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन सचिव उपखण्ड स्तरीय समिति बैतूल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग कमांक 02 बैतूल को सूचनार्थ।कृपया मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैतूल से सम्पर्क कर आयोजित ग्राम सभा बैठक में प्रतिनिधि को कृपया उपस्थित करवाकर अपना पक्ष रखवाने का कष्ट करें।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास बैतूल

E:\All File 2019 FRA 2\FRA Letter 2.docx

उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति बैतूल की बैठक दिनांक 05.02.2021 का कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति बैतूल की बैठक दिनांक 05.02.2021 को दोपहर 12 बजे से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपखंड स्तरीय समिति के सदस्य एवं अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

1.	श्रीमान सी.एल.चनाप अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल	अध्यक्ष
2.	श्रीमान आर.एन.श्रीवास्तव मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.पं.बैतूल	सदस्य/सचिव
3.	श्री चिरोंजीला कवड़े, जनपद सदस्य चिचोली	सदस्य
4.	श्रीमती संगीता ओझासिंग जनपद सदस्य चिचोली	सदस्य
5.	श्री अशोक भलावी जनपद सदस्य बैतूल	सदस्य
6.	अनुविभागीय अधिकारी वनमंडल आमला	सदस्य

प्रस्ताव क्रमांक – (1) :– वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत ग्राम मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु ग्राम पिपला, बगदरी, बोरीकास में वनभूमि पिपला बीट के कक्ष क्रमांक 1100, 1101, 1199 में रकबा 10.70 हेक्ट.भूमि व्यपवर्तन के संबंध में।

आज दिनांक 28.01.2021 को दोपहर 12 बजे से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय बैतूल में उपखंड स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर महोदय वन अधिकार/2020/21/8407 दिनांक 28.12.2020 के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मेंढा मध्यम परियोजना हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम के अन्तर्गत उपखंड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.02.2021 को उपस्थित सदस्यों के द्वारा सर्व सम्मति से विचार उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ग्रामसभा क्रमशः पिपला, बगदरी, बोरीकास के द्वारा बैठक दिनांक क्रमशः 03.01.2021, 05.01.2021, 03.01.2021 में पारित कार्यवाही विवरण अनुसार ग्राम मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु ग्राम पीपला, बगदरी, बोरीकास में प्रभावित वनभूमि पिपला बीट के कक्ष क्रमांक 1100, 1101, 1199 में क्रमशः ग्राम बगदरी की भूमि 1.12 हैक्ट. पिपला की भूमि 3.20 हैक्ट. एवं बोरीकास की भूमि 6.38 हैक्ट. इस प्रकार कुल रकबा 10.70 हैक्ट. के व्यपवर्तन के प्रस्ताव पर ग्रामसभा द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया है। तद्नुसार उपखंड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.02.2021 में उपरोक्तानुसार व्यपवर्तन के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से विचारोपरान्त प्रभावित ग्राम बगदरी, पिपला, बोरीकास में उक्त भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्तिगत अधिकार, सामुदायिक अधिकार, परम्परागत अधिकर, रूढिजन्य अधिकार एवं निस्तार के अधिकार निहित नहीं होने एवं कोई भी अधिकार प्रभावित नहीं होने के कारण मेंढा मध्यम परियोजना हेतु ग्राम बगदरी, पिपला, बोरीकास के वनभूमि पिपला बीट के कक्ष क्रमांक 1100, 1101, 1199 रकबा 10.70 हैक्ट. भूमि व्यपवर्तन हेतु सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत बैतूल

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
बैतूल

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति

बैठक कार्यवाही विवरण

5 2 2021

(1) कलेक्टर महो. वन शाखा. 2020-21/क्र 407 दि. 24.12.2020 के निर्देश में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित ग्राम पीपलखा बीट के ख.क्र. - 1100 रकबा 1101, एवं 1199 में क्रमशः ग्राम बगदरी का रकबा 1.12 हेक्टर, पीपलखा का रकबा 3.20 हेक्टर एवं बोरीखेडा रकबा 6.38 हेक्टर इस प्रकार कुल रकबा 10.70 हेक्टर व्यपवर्तन प्रस्ताव पर वनाधिकार के प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु म.प्र. शासन के संबंध में प्रभावित ग्राम बगदरी पीपलखा, बोरीखेडा द्वारा बैठक दिनांक क्रमशः 3.1.2021, एवं दि. 5.1.2020 में ग्रामसभा द्वारा पारित प्रस्ताव में वन अधिकार अधि. 2006 के अंतर्गत कोई व्यक्तिगत अधिकार, सामुदायिक/सामूहिक अधिकार, कृषि भूमि अधिकार एवं निस्तार के अधिकार निहित नहीं होने एवं किसी का अधिकार प्रभावित न होने के कारण मेंढा मध्यम परियोजना हेतु ग्रामसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन बैठक में व्यपवर्तन प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।

(2) बैठक में ग्राम वनाधिकार समितियों द्वारा वनाधिकार पत्रों के दावों ~~से~~ संबंधित "वनमित्र पोर्टल पर प्रेषित किये गये प्रकरणों/ दावों के साथ पूर्ण आवेदन, साक्ष्य एवं नियमानुसार दी गई टीप का परीक्षण किया गया, साथ ही ग्राम वन अधिकार समिति एवं ग्राम सभा द्वारा प्रस्तुत दावों को मान्य/अमान्य किये जाने हेतु निष्कर्ष पारित कर अनुमोदन प्रेषित किया गया। उन प्रकरणों पर उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा विचार उपरांत दावा प्रकरणों को मान्य अमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपखण्ड स्तरीय समिति बैठक उक्त प्रकरणों को जिला-स्तरीय समिति की ओर अंतिम कार्यवाही हेतु भेजने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बैतूल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत, बैतूल

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति
बैठक

5 2 2021

आज दिनांक 5/2/2021 को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैकुण्ठपुर के कार्यालय उपखण्ड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मान. [illegible] एवं सदस्यगण उपस्थित हुये।

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैकुण्ठपुर — अध्यक्ष — [signature]
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर — सचिव — [signature]
3. उपवनमंडलाधिकारी उत्तर (सा.) बैकुण्ठपुर — सदस्य
4. उपवनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) बैकुण्ठपुर — सदस्य — [signature]
5. उपवनमंडलाधिकारी पश्चिम (सा.) बैकुण्ठपुर — सदस्य
6. श्री [illegible] जी [illegible] (ज.प. अध्यक्ष [illegible]) — सदस्य — [signature]
7. श्रीमती संगीता [illegible] जी (ज.प. सदस्य [illegible]) — सदस्य — [signature]
8. श्री अशोक [illegible] जी (ज.प. सदस्य बैकुण्ठपुर) सोनहत — [signature: अशोक [illegible]]

प्ररूप–3
(नियम–7 देखिए)
कार्य वृत्त पुस्तक

ग्राम सभा का नामः– **पिपला**

सम्मिलन की तारीख – 03/01/21
सम्मिलन का स्थान ग्राम–**पिपला**
सम्मिलन का समय प्रातः 11.00 बजे
उपस्थित सदस्यों की संख्या 50%

ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय	सम्मिलन के कार्यवृत्त
प्रस्ताव कमांक–01	प्रस्ताव में संदर्भित पत्र के परिपालन में आज दिनांक 03/01/21 को ग्राम **पिपला** में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय अनुसार प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया ।
कार्यालय कलेक्टर (आजाक) बैतूल का प.क. वन अधिकार /2020–21/13/8407 बैतूल दिनांक 28.12.2020 एवं कार्यालय जनपद पंचायत बैतूल का पत्र कमांक /ज.पं./वनअधिकार/ 2020/3187 बैतूल दिनांक 31.12.20	1. (आवेदक विभाग का नाम) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक–2 बैतूल में (कार्य का नाम) **मेढा मध्यम परियोजना** का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। हमारे पंचायत क्षेत्र ग्राम पंचायत **पिपला** के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खंड के कक्ष कमांक **1101, रकबा 3.200हे** भूमि है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के अंतर्गत ग्राम सभा **पिपला** के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
विकासखंड बैतूल की मेढा मध्यम परियोजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खंड के कक्ष कमांक **1101, रकबा 3.200हे** भूमि के लिये जाने वाली भूमि के संबंध में प्रमाण पत्र का प्रदाय बाबत्।	2. उक्त भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम–2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा **पिपला** के समक्ष रखा गया, प्रस्ताव का निरीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दि.03/01/21 को की गई, जिसमें ग्राम सभा **पिपला** के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
	3. ग्राम सभा **पिपला** यह प्रमाणित करती है, कि व्यपवर्तन के लिये आवेदित वन भूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम–2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं / प्रकियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा **पिपला** के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
	4. उक्त भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा **पिपला** एद्द द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

MenLA18

सचिव
ग्राम पंचायत पीपला
ज.पंचा –बैतूल(म.प्र.)

सरपंच
ग्राम पंचायत पीपला
जन.पचा.–बैतूल(म.प्र.)